

पञ्चावली पेशा कुंज पार्की अधि. उपस्थित।
पार्की अधिवक्ता द्वारा अपार्की के फौत होने से
सूचना प्राप्त हुई। अपार्की के फौत हो जाने से
अवमानना प्रथम पर चलाने का कोई औचित्य
नहीं रह जाता है। अतः पञ्चावली अधि. की
जारी है। पञ्चावली फेल्ल शुमार होकर दायित्व
दफ्तर हो।

Pooja's (Trainee)
14/11/25